न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–175/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– आशुतोष त्यागी पुत्र स्व0 विनोद कुमार त्यागी, 2. श्रीमती मनीषा त्यागी पत्नी स्व0 विनोद कुमार त्यागी, निवासी मं0नं0–ए–27/16 सुभाष नगर, शफीपुर रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– देवी प्रसाद त्यागी पुत्र स्व0 ब्रहमस्वरूप त्यागी, निवासी–198 चाव मण्डी, रूड़की, जिला हरिद्वार, 2. ग्राम सभा सिमलौनी द्वारा ग्राम प्रधान, 3. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपीलकर्तागण	:	श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0–1	:	श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह द्वितीय अपील आयुक्त, गढ़वाल मण्डल कैम्प, देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या–35/15–16 आशुतोष त्यागी आदि बनाम देवी प्रसाद त्यागी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 12–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

अपीलकर्ता आशुतोष त्यागी के पिता विनोद कुमार त्यागी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 बावत खाता संख्या–45 खसरा नं0–161क क्षेत्रफल 2.721 है0 स्थित मौजा सिमलौनी, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की के समक्ष दिनांक 11–11–2008 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि के पहले मालिक उसके परदादा अजुध्या प्रसाद त्यागी थे, तत्पश्चात वादी के दादा ब्रहमस्वरूप त्यागी एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त बतौर वारिस देवी प्रसाद त्यागी का नाम अभिलेखों में दर्ज हो गया, कि जं0वि0अधि0–1951 के लागू होने के पूर्व ही वादी का जन्म दिनांक 01–04–1950 में हो चुका था तथा उस समय वादी के दादा ब्रहमस्वरूप जीवित थे, कि वादी का जन्म जं0वि0अधि0–1951 लागू होने से पूर्व का है तो कानूनन दादा की मृत्यु के उपरान्त वादी का नाम भी वादग्रस्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में देवी प्रसाद के साथ दर्ज होना चाहिए था जो कि कानूनन भूलवश नही किया गया जिससे वादी का स्वत्व व अंश प्रभावित हो गया है, कि वादग्रस्त भूमि बाग है जिसे उत्तरदाता संख्या–1/प्रतिवादी संख्या–1 ने स्वयं अर्जित नही किया है बल्कि उसे अपने पिता ब्रहमस्वरूप से विरासत में प्राप्त हुई है,

कि प्रतिवादी बाग को बेचकर वादी के अंश को खुर्द बुर्द करने में लगा हुआ है अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाए।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की ने विधिवत सुनवाई कर वादी का वाद अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 21–09–2011 से अस्वीकार किया जिसके विरूद्ध विनोद कुमार त्यागी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 22–02–2012 धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत किया जिसपर विधिवत सुनवाई उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की ने आदेश दिनांक 09–08–2012 से वादी का वाद पुनः सव्यय निरस्त किया। आदेश दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध विनोद कुमार त्यागी द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष दिनांक 04–12–2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें आदेश दिनांक 30–04–2015 से वादग्रस्त भूमि पर विनोद कुमार त्यागी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध देवी प्रसाद त्यागी द्वारा इस न्यायालय में निगरानी योजित की गई जिसे आदेश दिनांक 05–04–2016 से स्वीकार करते हुए कलेक्टर, हरिद्वार का आदेश दिनांक 30–04–2015 निरस्त किया गया। इस आदेश के पश्चात आशुतोष त्यागी एवं श्रीमती मनीषा त्यागी द्वारा आदेश दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल कैम्प, देहरादून के समक्ष प्रथम अपील धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत की गई जिसे अन्ततः विद्वान अपर आयुक्त ने धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 02–05–2016 में पर्याप्त आधार व कारण न होने के कारण निरस्त करते हुए प्रथम अपील कालबाधित होने के आधार पर आदेश दिनांक 12–08–2016 से निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना व एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुतीकरण के समय धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्रहण की गई परन्तु उत्तरदाता संख्या–1 द्वारा आपत्ति किये जाने पर विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने विषयक आदेश वापस लिया गया जबकि प्रथम अपील गुण दोष के आधार पर निर्णीत होनी थी, कि विद्वान सहायक कलेक्टर, रूड़की जिला हरिद्वार के आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील न करके अज्ञानतावश व सही विधिक परामर्श न मिलने से विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 30–04–2015 को अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित हुआ परन्तु इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 30–04–2015 अपास्त किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील योजित करने में पत्रावली न मिलने के कारण जो विलम्ब हुआ उसके अतिरिक्त कोई विलम्ब नही किया गया एवं प्रथम अपील धारा–5

मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, गढ़वाल ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अविधिक व अनियमित रूप से आलोच्य वाद के गुण दोष का उल्लेख किया है।

दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि आलोच्य वाद में वादी/अपीलकर्ता के पक्ष में विधि एवं तथ्य दोनो नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का विक्रय रतनलाल पुत्र बिसम्बर दास ब्रहमस्वरूप त्यागी के पक्ष में 1953 में किया जिससे वाद का आधार ही ध्वस्त हो जाता है, कि सहायक कलेक्टर, रूड़की द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध कोई अपील नही योजित हुई यदि ऐसी अपील होती तो धारा–14 मर्यादा अधिनियम का लाभ मिलता, कि कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष एक विविध प्रार्थना पत्र अथवा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, कि प्रथम अपील 3 वर्ष 9 माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई एवं विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदाता को सुने बिना अपील ग्रहण कर ली गई जिसके विरूद्ध उत्तरदाता द्वारा आदेश वापसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे सम्बन्धित आदेश को अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में चुनौती नही दी गई, कि अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण व विवेचन कर पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप का औचित्य नही है।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 12–08–2016 के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के मर्षण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02–05–2016 (सम्भवतः 23–05–2016) में वर्णित विलम्ब के कारण व आधार पर्याप्त न पाते हुए प्रथम अपील कालबाधित होने के आधार पर निरस्त की है।

विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 23–05–2016 में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष अपीलकर्ता संख्या–1 के पिता वादी विनोद कुमार त्यागी द्वारा एक वाद संख्या–6 वर्ष 2015 (11/2014) प्रस्तुत किया जाना एवं विद्वान कलेक्टर द्वारा 30–04–2015 को इस वाद को स्वीकार किया जाना अंकित है, (जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी दिनांक 09–08–2012 को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि मूल निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार आयुक्त को है)। यह भी कथन किया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05–04–2016 के उपरान्त प्रथम अपील करने में जो भी विलम्ब हुआ वह सहायक कलेक्टर के न्यायालय की वाद पत्रावली के न मिलने एवं उसके तलाशने व नकल प्राप्त करने में हुआ एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्रथम अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया है कि जो भी विलम्ब हुआ है वह पहले कानूनी सलाह न मिलने के कारण एवं फिर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि न मिलने के कारण हुआ है जिसमें अपीलकर्ता का कोई दोष नही है ।

मूल वाद में निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 09–08–2012 को पारित किया गया। तत्पश्चात कोई प्रथम अपील योजित नही की गई। लगभग 2 वर्ष 4 माह पश्चात दिनांक

04--12--2014 को कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष एक विविध प्रार्थना पत्र जिसे कहीं कहीं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी कहा जा रहा है प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर, हरिद्वार ने दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 30--04--2015 को निम्न आक्षेपित आदेश पारित किया गया:--

"उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी हरिद्वार स्थान रूड़की की आख्या के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति पर बाग दर्शाया गया है। श्री त्यागी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की छायाप्रति में उनकी जन्मतिथि दिनांक 01--04--1950 अंकित है। विधि द्वारा यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति किसी पुत्र का जन्म निहित होने के दिनांक से अर्थात् 01--07--1950 से पूर्व हो चुका है तो उसका कृषि भूमि या कृषि से सम्बन्धित भूमि में वह सहखातेदार माना जायेगा। वादी के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति दा--दीलाही सम्पत्ति है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध हो सके कि श्री देवी प्रसाद पुत्र ब्रहमस्वरूप ने प्रश्नगत सम्पत्ति को कभी क्रय किया हो या स्वअर्जित किया हो। अतः मैं श्री विनोद त्यागी के तर्कों से सहमत हूँ और प्रश्नगत सम्पत्ति ख0नं0--161ख रकबई 2.721 है0 स्थित ग्राम सिमलौनी पर देवी प्रसाद पुत्र ब्रहमस्वरूप निवासी--मंगलौर के साथ श्री विनोद त्यागी पुत्र श्री देवी प्रसाद निवासी--के--27/16 शफीपुर सुभाषनगर, गढ़वाल सभा के पास रूड़की जिला हरिद्वार का नाम सहखातेदार में दर्ज किया जाता है"।

उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने पर उसे अपास्त कर दिया गया क्योंकि मूल वाद में पारित निर्णय व आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील सम्बन्धित आयुक्त एवं अपर आयुक्त के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है। तद्नुसार प्रथम अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब न केवल इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 05--04--2016 के पश्चात हुआ है अपितु उससे पूर्व कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र की निस्तारण अवधि एवं इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने से पूर्व मूल आज्ञप्ति व निर्णय दिनांक 09--08--2012 के विरूद्ध अज्ञानतावश अथवा त्रुटिपूर्ण विधिक परामर्श के आधार पर कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने को ही प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना मान लिया जाय, तो भी इसमें भी लगभग 2 वर्ष 4 महीने का विलम्ब हुआ है। इस सम्बन्ध में अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कदापि मान्य नही है कि परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से वाद संचालन करने वाले विद्वान अधिवक्ता को प्रथम अपील के विधिक अधिकार, उसे किस वाद मंच में प्रस्तुत किया जाना है एवं कब तक प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है का ज्ञान नही था एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण परामर्श दिया गया। यह अकल्पनीय है कि एक अधिवक्ता जिसने वादीपक्ष की ओर से पूर्ण वाद का संचालन किया उसे प्रथम अपील सम्बन्धी प्राविधानों का ज्ञान न हो।

वाद आज्ञप्त होने के पश्चात का घटनाक्रम परिस्थितिजन्य रूप से यह स्पष्ट करता है कि वादी/अपीलकर्ता को प्रथम अपील योजित करने की कोई मंशा, इच्छा अथवा

इरादा ही नही था क्योंकि यदि वे विद्वान सहायक कलेक्टर के निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 09–08–2012 से क्षुब्ध अथवा व्यथित होते तो वे भले ही कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करते अथवा कोई विधिक चाराजोही करते तो ऐसी अपील अथवा विधिक चाराजोही 2 वर्ष 4 माह के विलम्ब से तो नही करते। तद्नुसार कलेक्टर के समक्ष ही की गई कार्यवाही भी पश्चात कल्पना (after thought) पर आधारित है। सर्वप्रथम सबसे बड़ा विलम्ब वाद आज्ञप्त होने के दिन से कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र की तिथि के मध्य का है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही है। तद्नुसार यह विलम्ब प्रथम अपील की ग्राह्यता में घातक है क्योंकि यदि कलेक्टर के समक्ष चली कार्यवाही के आधार पर धारा–14 मर्यादा अधिनियम का लाभ भी प्रदान किया जाए तो यह विलम्ब अस्पष्ट (unexplained) एवं अनाच्छादित है।

जंहा तक कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत व्यवहरित कार्यवाही से विलम्ब होने का प्रश्न है वस्तुतः यह कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही थी। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है यह कार्यवाही पश्चात कल्पना के आधार पर एक विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरम्भ की गई थी जैसा कि उक्त प्रार्थना पत्र पर कतिपय उच्चाधिकारियों के पत्र एवं आदेश मूल पत्रावली में कागज संख्या–14/3 से 14/41 से भी स्पष्ट होता है। तद्नुसार कलेक्टर के समक्ष सम्पन्न हुई कार्यवाही से प्रथम अपील के योजन में हुए विलम्ब के मर्षण हेतु धारा–14 मर्यादा अधिनियम का लाभ भी नही दिया जा सकता है। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने अपने आक्षेपित निर्णय व आदेश में प्रथम अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार व कारण पर्याप्त एवं स्पष्ट न होने के सम्बन्ध में किया गया विश्लेषण विस्तृत न सही परन्तु तथ्यात्मक एवं सारगर्भित है। वादी/अपीलकर्तागण का मूल वाद के अस्वीकृत होने के पश्चात रवैया एवं आचरण अत्यन्त तदर्थ, लापरवाह, अनमना एवं अनिश्चयपूर्ण रहा है जिससे यह विदित होता है कि वे वाद अस्वीकृत होने के पश्चात अपने विधिक अधिकारों को लेकर संशय एवं अनिश्चितताग्रस्त थे। तद्नुसार एक लम्बी अवधि तक उनके द्वारा प्रथम अपील नही योजित की गई। उनके द्वारा लगभग 2 वर्ष 4 माह के उपरान्त कलेक्टर के समक्ष एक विधिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके सम्बन्ध में उच्चतर प्रशासनिक अधिकारियों से भी पत्राचार करवाया गया। यह उनकी न्यायिक प्रक्रिया में अनास्था व अविश्वास का भी प्रतीक प्रतीत होता है।

उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित, उत्तराखण्ड राज्य बनाम मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट लिमिटेड, 2013 (119) आर0डी0 512 गा0 उत्तराखण्ड न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था कि " परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा–5–विलम्ब का मर्षण के लिए आवेदन–अपीलों को दाखिल किये जाने में एक सामयिक एवं विमर्शित प्रयास किया गया है जिनमें क्रमशः 631 एवं 690 दिनों का विलम्ब था–डी0जी0सी0 (सिविल) द्वारा प्राधिकारियों के प्रज्ञान में लाया गया था कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के अन्दर अपील दाखिल करें–अपीलों को अनुबन्धित समय के अन्तर्गत दाखिल किये जाने का सद्भाविक प्रयास नही किया गया–प्रत्येक स्तर पर विलम्ब को विचारित रूप से किया

गया–राज्य किसी विशेषाधिकार का दावा नही कर सकता–उसे भी प्राइवेट व्यक्ति के रूप में व्यवहरित किया जायेगा–न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग मनमाने, अस्पष्ट एवं भ्रमात्मक रूप से नही कर सकता वरन् स्थापित न्यायिक सिद्धान्तों पर आधारित होता है–न्यायालय को इतना अगम्भीर नही होना चाहिए कि विधिक अधिकारों की अवहेलना करें–विलम्ब मर्षण आवेदन अस्वीकार किया गया" वर्तमान प्रकरण में भी प्रासंगिक है क्योंकि आलोच्य प्रकरण वादी/अपीलकर्तागण ने अत्यन्त लापरवाही एवं अनमने ढंग से मूल आज्ञप्ति के विरूद्ध अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित, पी0सारथी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट 2023, में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था का जंहा तक प्रश्न है, जैसे कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत की गई कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही थी एवं कलेक्टर, हरिद्वार ने उच्चाधिकारियों से प्राप्त पत्रों एवं स्वयं वादी/अपीलकर्तागण के विविध प्रार्थना पत्र पर एक जांच कर आदेश पारित किये थे इसके आधार पर कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष व्यवहरित उक्त कार्यवाही को मा0 सर्वोच्च न्यायालय की उद्धरित व्यवस्था में कार्यवाही (proceedings) नही माना जा सकता क्योंकि कलेक्टर आलोच्य वाद के अपीलीय अधिकारी नही है न ही उन्होंने संदर्भित कार्यवाही किसी अधिनियम के अन्तर्गत की है। तद्नुसार यह विधिक व्यवस्था आलोच्य प्रकरण के लिए प्रासंगिक नही है। जंहा तक विद्वान अधिवक्ता द्वारा मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था, दलवीर सिंह बनाम संयुक्त निदेशक, चकबन्दी सहारनपुर व अन्य 2006 (100) आर0डी0 80, का प्रश्न है, मा0 न्यायालय ने अन्तर्विष्ट प्रकरण में याची के युद्ध में घायल होने के कारण बीमार रहने का आधार पर्याप्त पाया जबकि आलोच्य प्रकरण में वादी/अपीलकर्तागण का वाद आज्ञप्त के उपरान्त कलेक्टर के समक्ष प्रशासनिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में भी हुए लगभग 2 वर्ष 4 माह का विलम्ब भी बिना पर्याप्त आधार व कारण का है, तद्नुसार उद्धरित व्यवस्था भी वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है। इस क्रम में मा0 इलाहाबाद, उच्च न्यायालय की, रामधनी तिवारी बनाम उप निदेशक, चकबन्दी गोरखपुर आदि, 1996 (87) आर0डी0 34–36, में प्रतिपादित सिद्धान्त कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहुत उदारता से विचार होना चाहिए, वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है क्योंकि मा0 न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण व वर्तमान प्रकरण में तथ्यात्मक भिन्नता है एवं विद्वान अपर आयुक्त ने विलम्ब हेतु आधार व कारण की अपर्याप्तता को उचित रूप से विवेचित व विश्लेषित किया है।

जंहा तक विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम अपील ग्रहण करने सम्बन्धी एवं विलम्ब मर्षण सम्बन्धी अपने आदेश का पुनर्विलोकित किये जाने का प्रश्न है विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र का निस्तारण बिना उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये नही किया जाना चाहिए था क्योंकि विलम्ब मर्षण के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने अथवा न करने से सम्बन्धित पक्ष के हित निर्णायक रूप से प्रभावित होते है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त ने बिना सुनवाई कर

विलम्ब मर्षण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी अपने आदेश को वापस लेकर विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र को विधिवत निस्तारित कर कोई त्रुटि नही की है। वैसे ही विलम्ब मर्षण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर पारित पूर्व आदेश दिनांक 26–05–2016 सकारण एवं सुव्यक्त (reasoned speaking) आदेश नही है जो कि विधि की दृष्टि में भी शून्य है। वस्तुतः बिना प्रतिपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किये धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को बिना कारण इंगित किये स्वीकार किया जाना एक अर्न्तवर्ती आदेश ही माना जायेगा जिसे उचित आधारों पर संशोधित, परिवर्तित किया अथवा वापस लिया जा सकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रथम अपील अग्राह्य थी एवं इस सम्बन्ध में पारित विद्वान अपर आयुक्त का आक्षेपित निर्णयादेश किसी विधिक एवं तात्विक कमी/त्रुटि से ग्रसित नही है तद्नुसार यह द्वितीय अपील इसी आधार पर अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

द्वितीय अपील अस्वीकृत की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 05–06–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)